


420/296

नं० 6029/2018/सिंगरौली/भू०

न्यायालय श्रीमान राजेंद्र मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प रोवा १ म०प्र० १



राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी तय रामदुलारे साकिन कुशमहरा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र० -
--- निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- पंचबहादुर उर्फ बेटराम तय धनेश्वर राम,
- 2- विजय शंकर पिता धनेश्वर राम
- 3- दादूराम पिता धनेश्वर राम
- 4- कन्हैयाराम पिता धनेश्वर राम

सभी निवासी ग्राम कुशमहरा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०,

5- मुन्नीलाल पिता सूरज प्रसाद साकिन हर्दा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०,

--- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, म०प्र० के प्रकरण क्र. 69/निगरानी/2006-07 मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2018, अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजत्व संहिता 1959ई. 1

अधीनक्षी भद्रपुरव
वाक्यप डाटा वेधा
4-10-18

कलकत्ता आफ कोरा
एज्यूस मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सिक्रेट कर्मी) सिधा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि आवेदक द्वारा माननीय मूल न्यायालय अपर कलेक्टर बैंगन के तमाम धारा 107(5) का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमे अंकित किया कि भूमि नं० पुराना 266, क्षेत्रफल 0.336 हे. जिसका नया नम्बर नं० 533 क्षेत्रफल 0.33 हे.

